संघ विधान पत्र

1 **संस्था का नाम** : इस संस्था का नाम श्री भूरामल, कानाराम मेमोरियल जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान– मुकन्दपुरा जिला जयपुर (राज0) रहेगा।

2 **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षैत्र** : मुकन्दपुरा पो0 रघुनाथपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर (राज0) 303701 है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित रहेगा।

3 **संस्था के उद्धेश्य** : इस संस्था के निम्नलिखित उद्धेश्य है :–

1. अशिक्षा उन्मूलन हेतु (विशेष रूप से बालिका) ग्रामीण, आदिवासी व शहरी क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, योग व स्वास्थ्य शिक्षण, तकनिकी, औद्योगिकी व प्रबन्ध शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय की स्थापना करना।
2. जन स्वास्थ्य संबंधी सेवा, जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन, एड्स, पल्स पोलियों, टीकाकरण, कैंसर के प्रति जागरूक लाने, रक्तदान शिविर व अन्य स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना।
3. पर्यावरण संरक्षण के लिये वन व औषधीय पौधों का संरक्षण कर इनके विस्तार के लिए जन जागृति लाने का प्रयास करना।
4. जल संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर चल रही परियोजनाओं एवं भूमि जल संरक्षण स्तर ह्रास रोकथाम के लिये जन जागृति लाने का प्रयास करना। किसानों को जल संरक्षण, आधुनिक व वैज्ञानिक तकनिकों की जानकारी से अवगत कराते हुए सहयोग प्रदान करना तथा शिविर व परियोजना चलाना।
5. वन्य, जीव, पशु, पक्षियों के संरक्षण एवं संतुलन बनये रखने के लिए जन जागरण शिविरों का आयोजन कर जन जागृति लाना।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

6. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अल्पसंख्यक, निःशक्त जन के शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार के लिये कार्य करना।
7. सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए जनसंख्या नियंत्रण, बाल विवाह न करने, विधवा विवाह करने महिला शिक्षा रोजगार को बढ़ावा देने प्रशिक्षण देने के लिए कार्य करना तथा शिविर लगाना।
8. बेसहारा वृद्धों व अनाथ बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास हेतु आश्रमों का गठन कर सामाजिक चेतना जागृत करना।
9. भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिये कार्य करना।
10. कृषि क्षेत्र में कृषि के उन्नत तकनिकों, उपकरणों आदि के बारे में प्रशिक्षित कर, उनका प्रदर्शन करना।
11. कृषि क्षेत्र में रोजगार जैसे केंचुआ पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, कुक्कुट, सुअर पालन, एवं फूड प्रोसेसिंग आदि की जानकारी एवं परियोनाएं संचालित मे सहयोग कर जन चेतना जागृत करना।
12. ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों जैसे सौर, पवन ऊर्जा तथा बायो गैस ऊर्जा के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन करना।
13. जैविक व शुष्क कृषि को बढ़ावा देना।

उपरोक्त उद्धेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष	नर्मदा सचिव	ललिता कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 906 जयपुर/2007-08

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री मूरामल कानाराम मेमोरियल जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान मुकन्दपुरा जिला जयपुर राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 27 माह फरवरी सन दो हजार 2008 को जयपुर में किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं

(अशोक कुमार जोशी)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 © 2374969 2751352 2751417

श्री मूरामल कानाराम मेमोरियल
जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान
मुकन्दपुरा, जयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

रजि० नं० 906, जयपुर/2007/2008

श्री भूरामल कानाराम मेमोरियल
जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान
मुकन्दपुरा-II, जयपुर (राज०) 303701

क्रमांक : 86 | दिनाक : 25.12.18

प्रबन्ध कार्य–कारिणी

क्र.सं.	नाम/पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1.	डॉ. रामनिवास यादव s/o जगदीश प्रसाद	डॉक्टर	मुकन्दपुरा, जालसू , जयपुर	अध्यक्ष
2.	बंशीधर यादव s/o रामकुमार यादव	व्यापार	धिनोई, कालाडेरा, जयपुर	सचिव
3.	संदीप यादव s/o डॉ. सांवरमल	व्यापार	मधुकर कॉलॉनी, गढ़, कोटपूतली	कोषाध्यक्ष
4.	कुशाल यादव s/o जगदीश यादव	व्यापार	यादवखेड़ा, जालसू	उपाध्यक्ष
5.	लक्ष्मीनिवास s/o शंकरलाल	प्रा. सेवा	सांवत का बास, रेनवाल	सदस्य
6.	डॉ. रामगोपाल s/o हरदेव	डॉक्टर	निमडाली, खेजरोली	सदस्य(शिक्षाविद)
7.	ललिता D/o रूड़मल	शिक्षक	कालाडेरा, जयपुर	सदस्य
8.	गजेन्द्र s/o शिवनारायण	कृषि सेवा	यादवखेड़ा, जालसू	सदस्य
9.	संतोष s/o रामदयाल	कृषि	रामपुरा, रायथल , जयपुर	सदस्य
10.	नीतू D/o डॉ. रामचरण	शिक्षक	लोहरवाड़ा, जयपुर	सदस्य(शिक्षाविद)
11.	डॉ. किरण w/o मुकेश कुमार	डॉक्टर	मान्यावाली ढाणी, महरोली सीकर	सदस्य
12.	सीताराम गुर्जर s/o सूरजमल	स. प्रोफेसर	शिक्षक कॉलोनी, दौसा	सदस्य
13.	नीलम बागड़ी w/o डॉ. राजेन्द्र बागड़ी	बैंकिग	नांगल पुरोहितान	सदस्य
14.	रामेश्वर s/o लादूराम बागड़ा	व्यापार	सबलपुरा,कालाडेरा	सदस्य
15.	रामसहाय s/o भूरामल	शिक्षक	मुकन्दपुरा , जालसु	सदस्य(शिक्षाविद)
16.	सुमन w/o डॉ. गजराज	प्रबंधक	गढ़ कॉलोनी, कोटपूतली	सदस्य

नकल देने की दिनांक 22/5/19
नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

अध्यक्ष
श्री भूरामल, कानाराम मेमोरियल
जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान
मुकन्दपुरा-II, वा.–जाहोता, जयपुर

सचिव
श्री भूरामल, कानाराम मेमोरियल
जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान
मुकन्दपुरा-II, वा.–जाहोता, जयपुर

कोषाध्यक्ष
श्री भूरामल, कानाराम मेमोरियल
जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान
मुकन्दपुरा, जयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

श्री भूरामल, कानाराम मेमोरियल जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान– मुकन्दपुरा 'जिला जयपुर (राज०)

विधान (नियमावली)

1 संस्था का नाम : इस संस्था का नाम श्री भूरामल, कानाराम मेमोरियल जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान– मुकन्दपुरा जिला जयपुर (राज0) रहेगा।

2 पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षैत्र : मुकन्दपुरा पो0 रघुनाथपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर (राज0) 303701 है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित रहेगा।

3 संस्था के उद्धेश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्धेश्य है :–

1. अशिक्षा उन्मूलन हेतु (विशेष रूप से बालिका) ग्रामीण, आदिवासी व शहरी क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, योग व स्वास्थ्य शिक्षण, तकनिकी, औद्योगिकी व प्रबन्ध शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय की स्थापना करना।
2. जन स्वास्थ्य संबंधी सेवा, जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन, एड्स, पल्स पोलियों, टीकाकरण, कैंसर के प्रति जागरूक लाने, रक्तदान शिविर व अन्य स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना।
3. पर्यावरण संरक्षण के लिये वन व औषधीय पौधों का संरक्षण कर इनके विस्तार के लिए जन जागृति लाने का प्रयास करना।
4. जल संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर चल रही परियोजनाओं एवं भूमि जल संरक्षण स्तर ह्रास रोकथाम के लिये जन जागृति लाने का प्रयास करना। किसानों को जल संरक्षण, आधुनिक व वैज्ञानिक तकनिकों की जानकारी से अवगत कराते हुए सहयोग प्रदान करना तथा शिविर व परियोजना चलाना।
5. वन्य जीव, पशु, पक्षियों के संरक्षण एवं संतुलन बनये रखने के लिए जन जागरण शिविरों का आयोजन कर जन जागृति चलाना।

अध्यक्ष   नर्मदा सचिव   कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

4– संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

10 साधारण सभा की बैठक :

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।
5. संस्था के 1/3 अथवा 11 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, लिखित आवेदन करने पर सचिव/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/सचिव द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 11 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11 कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे।

1. अध्यक्ष – एक
2. उपाध्यक्ष– एक
3. सचिव – एक
4. कोषाध्यक्ष – एक
5. सदस्य– सात

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 4 पदाधिकारी व 7 सदस्य कुल 11 सदस्य होंगे।

(मुहर: रजिस्ट्रार संस्थाएं)

[हस्ताक्षर] अध्यक्ष — नर्मदा सचिव — ललिता कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

12 कार्यकारिणी का निर्वाचन :

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13 कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे।

1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा कना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, उन्हे सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

14 **कार्यकारिणी की बैठकें** :

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 3 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दुसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

15 प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य– : संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे–

1– अध्यक्ष

1. बैठकों को आहूत करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आहूत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2– उपाध्यक्ष

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3– सचिव

1. बैठकें आहूत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3. आय व्यय पर नियंत्रण करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन या यात्रा बिल आदि पास करना।
5. संस्था की प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।
7. सम्पति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

5– कोषाध्यक्ष

1. वार्षिक लेखा– जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।

अध्यक्ष   नर्मदा
सचिव   कोषाध्यक्ष

3. चन्दा / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16 संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा।

1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय अनुदान

1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत, सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
2. अध्यक्ष / कोषाध्यक्ष/ सचिव में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंकलेन–देन संभव होगा।

17 कोष संबंधी विशेषाधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

1– अध्यक्ष– Rs. 51000 / – रू.

2– मंत्री / सचिव Rs. 21000 / – रू.

3– कोषाध्यक्ष Rs. 11000 / – रू.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।

18 संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

19 संस्था का विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा। जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

अध्यक्ष

नर्मदा
सचिव

ललिता
कोषाध्यक्ष

20 संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति समान उदेश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21 संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिए गए सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) श्री भूरामल, कानाराम मेमोरियल जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान मुकन्दपुरा जिला जयपुर (राज0)संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
श्री भूरामल, कानाराम मेमोरियल जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान मुकन्दपुरा, जयपुर (राज.)	श्री भूरामल, कानाराम मेमोरियल जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान मुकन्दपुरा, जयपुर (राज.)	श्री भूरामल, कानाराम मेमोरियल जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान मुकन्दपुरा, जयपुर (राज.)

OATH COMMISSIONER JAIPUR

ATTESTED 25/2/08

1. संस्था का पंजियन क्रमांक 906/07-08
2. संस्था का नाम श्री भूरामल कानाराम मेमोरियल जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान
3. किस्त दस्तावेज ...
4. दस्तावेज की संख्या 16
5. दिनांक पंजियन 27.2.08
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार ...

राज. संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 की धारा 19 के तहत
यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था विभाग में दाखिल कराये गये दस्तावेज की पृष्ठ सं. ... से पृष्ठ ... तक है, की सत्यप्रति है।
1. नकल देने की दिनांक 28-2-08
2. नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर ...

रजिस्ट्रार संस्थाएँ जयपुर

श्री भूरामल,कानाराम मेमोरियल जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान

मुकन्दपुरा पोस्ट रघुनाथपुरा

तहसील आमेर जिला जयपुर (राज0)–303701

संघ विधान पत्र

अध्यक्ष
श्री भूरामल ... मेमोरियल
जन ... संस्थान
मुकन्दपु... पुर (राज.)

Scanned with CamScanner

संघ विधान पत्र

1 संस्था का नाम : इस संस्था का नाम श्री भूरामल, कानाराम मेमोरियल जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान– मुकन्दपुरा जिला जयपुर (राज0) रहेगा।

2 पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षैत्र : मुकन्दपुरा पो0 रघुनाथपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर (राज0) 303701 है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित रहेगा।

3 संस्था के उद्धेश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्धेश्य है :–

1. अशिक्षा उन्मूलन हेतु (विशेष रूप से बालिका) ग्रामीण, आदिवासी व शहरी क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, योग व स्वास्थ्य शिक्षण, तकनिकी, औद्योगिकी व प्रबन्ध शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय की स्थापना करना।
2. जन स्वास्थ्य संबंधी सेवा, जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन, एड्स, पल्स पोलियों, टीकाकरण, कैंसर के प्रति जागरूक लाने, रक्तदान शिविर व अन्य स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना।
3. पर्यावरण संरक्षण के लिये वन व औषधीय पौधों का संरक्षण कर इनके विस्तार के लिए जन जागृति लाने का प्रयास करना।
4. जल संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर चल रही परियोजनाओं एवं भूमि जल संरक्षण स्तर ह्रास रोकथाम के लिये जन जागृति लाने का प्रयास करना। किसानों को जल संरक्षण, आधुनिक व वैज्ञानिक तकनिकों की जानकारी से अवगत कराते हुए सहयोग प्रदान करना तथा शिविर व परियोजना चलाना।
5. वन्य, जीव, पशु, पक्षियों के संरक्षण एवं संतुलन बनये रखने के लिए जन जागरण शिविरों का आयोजन कर जन जागृति लाना।

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

अध्यक्ष   नर्मदा सचिव   कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष
श्री भूरामल कानाराम मेमोरियल
जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान
मुकन्दपुरा, जयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

6. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अल्पसंख्यक, निःशक्त जन के शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार के लिये कार्य करना।
7. सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए जनसंख्या नियंत्रण, बाल विवाह न करने, विधवा विवाह करने महिला शिक्षा रोजगार को बढ़ावा देने प्रशिक्षण देने के लिए कार्य करना तथा शिविर लगाना।
8. बेसहारा वृद्धों व अनाथ बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास हेतु आश्रमों का गठन कर सामाजिक चेतना जागृत करना।
9. भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिये कार्य करना।
10. कृषि क्षेत्र में कृषि के उन्नत तकनिकों, उपकरणों आदि के बारे में प्रशिक्षित कर, उनका प्रदर्शन करना।
11. कृषि क्षेत्र में रोजगार जैसे केंचुआ पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, कुक्कुट, सुअर पालन, एवं फूड प्रोसेस आदि की जानकारी एवं परियोनाएं संचालित मे सहयोग कर जन चेतना जागृत करना।
12. ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों जैसे सौर, पवन ऊर्जा तथा बायो गैस ऊर्जा के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन करना।
13. जैविक व शुष्क कृषि को बढ़ावा देना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष

नर्मदा
सचिव

ललिता
कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष
श्री भूरामल ... मेमोरियल जन कल्याण ... संस्थान मुकन्दपुरा, ...पुर (राज.)

Scanned with CamScanner

4 संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है :–

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	श्री रामसहाय / भूरामल	शिक्षा सेवा	अचरोल, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमती नर्मदा यादव / लक्ष्मी नारायण यादव	कृषि	गुमानपुरा पो० रायथल वाया कालाडेरा जयपुर	सचिव
3	श्रीमती ललिता यादव / रूड़मल	शिक्षा सेवा	कालाडेरा त० चौमु जयपुर	कोषाध्यक्ष
4	श्री कुशाल यादव / जगदीश प्रसाद यादव	व्यापार	यादवखेड़ा पो० खनीपुरा त० आमेर जयपुर	उपाध्यक्ष
5	श्री किशन / भंवरलाल गुर्जर	प्राइवेट सेवा	डूमखेड़ा राजसमन्द	सदस्य
6	श्री लक्ष्मीनिवास / शंकरलाल	कृषि	सांवत का बास त०रेनवाल जयपुर	सदस्य
7	डॉ० रामगोपाल / हरदेव	डाक्टर	नीमड़ाहाली खेजरोली	सदस्य
8	श्रीमती पिंकी / रामकरण	गृहणि	हस्तेड़ा जयपुर	सदस्य
9	श्री सियाराम / सूरजमल	कृषि सेवा	गुमानपुरा प्रो० रायथल जयपुर	सदस्य
10	श्री सीताराम गुर्जर / रामधन	शिक्षा सेवा	हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी दौसा	सदस्य
11	श्रीमती मोहिनी / जगदीश	कृषि सेवा	मुकन्दपुरा पो० रघुनाथपुरा त० आमेर जयपुर	सदस्य

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष
श्री भूरामल ... मेमोरियल
जन ... संस्थान
मुकन्द... (राज.)

Scanned with CamScanner

5 हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है:-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1	श्री रामसहाय / भूरामल	शिक्षा सेवा	अचरोल, जयपुर	
2	श्रीमती नर्मदा यादव / लक्ष्मी नारायण यादव	कृषि	गुमानपुरा पो0 रायथल वाया कालाडेरा जयपुर	नर्मदा
3	श्रीमती ललिता यादव / रूड़मल	शिक्षा सेवा	कालाडेरा त0 चौमु जयपुर	ललिता
4	श्री कुशाल यादव / जगदीश प्रसाद यादव	व्यापार	यादवखेड़ा पो0 खनीपुरा त0 आमेर जयपुर	कुशाल
5	श्री किशन / भंवरलाल गुर्जर	प्राइवेट सेवा	डूमखेड़ा राजसमन्द	Kishan
6	श्री लक्ष्मीनिवास / शंकरलाल	कृषि	सांवत का बास त0रेनवाल जयपुर	
7	डॉ0 रामगोपाल / हरदेव	डाक्टर	नीमड़ाहाली खेजरोली	
8	श्रीमती पिंकी / रामकरण	गृहणि	हस्तेड़ा जयपुर	पिंकी
9	श्री सियाराम / सूरजमल	कृषि सेवा	गुमानपुरा प्रो0 रायथल जयपुर	सियाराम
10	श्री सीताराम गुर्जर / रामधन	शिक्षा सेवा	हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी दौसा	
11	श्रीमती मोहिनी / जगदीश	कृषि सेवा	मुकन्दपुरा पो0 रघुनाथपुरा त0 आमेर जयपुर	

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक 306/07-08
2. संस्था का नाम श्री भूरामल कानाराम मैमोरियल जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान
3. किस्त दस्तावेज
4. दस्तावेज की संख्या
5. दिनांक पंजीयन 27.2.08
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार ....

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते है व उन्होने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये है। हम यह भी घोषित करते है कि हम संस्था के सदस्य नहीं है।

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

1. हस्ताक्षर
सहायक निदेशक कृषि
(नाम / व्यवसाय / पूर्ण पता)
(मुख्यालय) कांकरोली (राजसमन्द)

ATTESTED
27.2.08
STATE COMMISSIONER

2. हस्ताक्षर
प्राध्यापक
रा0उ0मा0वि0
(नाम / व्यवसाय / पूर्ण पता)

अध्यक्ष
श्री भूरामल, कानाराम मेमोरियल
जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान
मुकन्दपुरा, जयपुर (राज.)

नर्मदा
सचिव
श्री भूरामल, कानाराम मेमोरियल
जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान
मुकन्दपुरा, जयपुर

ललिता
कोषाध्यक्ष
श्री भूरामल, कानाराम मेमोरियल
जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान
मुकन्दपुरा, जयपुर (राज.)

अध्यक्ष
श्री भूरामल कानाराम मेमोरियल
जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान
मुकन्दपुरा, जयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

6. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अल्पसंख्यक, निःशक्त जन के शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार के लिये कार्य करना।

7. सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए जनसंख्या नियंत्रण, बाल विवाह न करने, विधवा विवाह करने महिला शिक्षा रोजगार को बढ़ावा देने प्रशिक्षण देने के लिए कार्य करना तथा शिविर लगाना।

8. बेसहारा वृद्धों व अनाथ बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास हेतु आश्रमों का गठन कर सामाजिक चेतना जागृत करना।

9. भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिये कार्य करना।

10. कृषि क्षेत्र में कृषि के उन्नत तकनिकों, उपकरणों आदि के बारे में प्रशिक्षित कर, उनका प्रदर्शन करना।

11. कृषि क्षेत्र में रोजगार जैसे केंचुआ पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, कुक्कुट, सुअर पालन, एवं फूड प्रोसेसिंग आदि की जानकारी एवं परियोनाएं संचालित मे सहयोग कर जन चेतना जागृत करना।

12. ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों जैसे सौर, पवन ऊर्जा तथा बायो गैस ऊर्जा के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन करना।

13. जैविक व शुष्क कृषि को बढ़ावा देना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष | नर्मदा सचिव | कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष
श्री भूरामल ... मेमोरियल
जन कल्याण ... संस्थान
मुकन्दपुरा, ...पुर (राज.)

Scanned with CamScanner

4 सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1. संस्था के कार्य क्षैत्र में निवास करते हो।
2. बालिग हो।
3. पागल, दिवालिया न हो।
4. संस्था के उद्धेश्यों के रूचि व आस्था रखते हो।
5. संस्था के हित को सर्वोपति समझते हो।

5 सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे–

1– संरक्षक 2– विशिष्ठ

3– सम्माननीय 4– साधारण

6 सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्कः व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा–

1– संरक्षक Rs. 51000/– वार्षिक

2– विशिष्ठ Rs. 21000/–वार्षिक

3– सम्माननीय Rs. 11000/–वार्षिक

4– साधारण Rs. 2100/– वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त जमा कराई जा सकेगी।

7 सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा–

1– मृत्यु होने पर

2– त्याग पत्र देने पर

3– संस्था के उद्धेश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4– प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

5– सदस्यता शुल्क समयबद्ध समाप्त होने पर।

8 साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9 साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे–

1– प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2– वार्षिक बजट पारित करना।

3– प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

श्री भूरालाल ... संस्थान
जन क...
मुकन्दपुरा, ...पुर (राज.)

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी की सूची / EXECUTIVE COMMITTEE LIST

पं. संख्या / **REG. NO.- 906/JAIPUR/2007-2008** दिनांक / DATE- 30-09-2022

SHRI BHURAMAL KANARAM MEMORIAL JAN KALYAN EVAM SHIKSHA SANSTHAN जिला **जयपुर** राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था की परिवर्तित कार्यकारिणी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा– 4 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसे संस्था के रिकॉर्ड मे संधारित किया जाता है।

SHRI BHURAMAL KANARAM MEMORIAL JAN KALYAN EVAM SHIKSHA SANSTHAN DISTRICT **Jaipur** IS A REGISTERED INSTITUTION UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NUMBER 28, 1958) . THE CHANGED EXECUTIVE COMMITTEE OF THE INSTITUTION IS SUBMITTEED BEFORE THE UNDERSIGNED UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958
SECTION- 4 (1) WHICH IS FILED IN THE SOCIETY'S RECORD.

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
1		Banshi Dhar Yadav	MALE	SECRATORY		13/07/1954
2		Gajendra Prasad Yadav	MALE	MEMBER		02/06/1985
3		Kiran Yadav	FEMALE	MEMBER		16/09/1987
4		Kushal Yadav	MALE	TREASURER		15/08/1986
5		Lalita Yadav	FEMALE	MEMBER (ACADEMICIAN)		13/05/1986

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2022.09.30 22:08:45 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
6		Laxmi Niwas Yadav	MALE	MEMBER		03/08/1979
7		Nikita Yadav	FEMALE	MEMBER (ACADEMICIAN)		01/04/1991
8		Nitu Yadav	FEMALE	MEMBER (ACADEMICIAN)		21/06/1988
9		Om Prakash Yadav	MALE	MEMBER		16/01/1979
10		Ram Gopal Yadav	MALE	MEMBER (ACADEMICIAN)		05/02/1964
11		Ram Niwas Yadav	MALE	PRESIDENT		01/07/1985
12		Ram Sahai Yadav	MALE	MEMBER (ACADEMICIAN)		30/08/1967
13		Ramesh Chand Yadav	MALE	MEMBER		01/05/1971
14		Sandeep Yadav	MALE	VICE PRESIDENT		26/08/1991
15		Santosh Devi	FEMALE	MEMBER		02/05/1985
16		Suman Yadav	FEMALE	MEMBER		22/01/1985

नोट– इसे रजिस्ट्रार द्वारा शासी निकाय / GOVERNING BODY की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जावे ।

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2022.09.30 22:08:45 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

REG NO. 906/JAIPUR/2007-2008

श्री भूरामल कानाराम मेमोरियल जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान

मुकन्दपुरा पोस्ट– रघुनाथपुरा, तहसील– आमेर, जिला जयपुर 303701 (राजस्थान)

तुलनात्मक स्टेंटमेंट

क्र. सं.	विधान की धारा संख्या	पूर्व पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम
1	**SECTION 12**	यह संस्था कुल **11 सदस्यीय** संस्था रजिस्टर्ड है। **अध्यक्ष–1** **सचिव–1** **कोषाध्यक्ष–1** **उपाध्यक्ष–1** **सदस्य–7**	अब संस्था को **16 सदस्यीय** करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है– **अध्यक्ष–1** **सचिव–1** **कोषाध्यक्ष–1** **उपाध्यक्ष–1** **सदस्य–12** (कुल सदस्यों में से 5 ACADEMICIAN सदस्यों का चयन किया जाएगा।)

अध्यक्ष
अध्यक्ष
श्री भूरामल, कानाराम मेमोरियल
जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान
मुकन्दपुरा-II, वा.–जाहोता जयपुर

सचिव
सचिव
श्री भूरामल कानाराम मेमोरियल
जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान
मुकन्दपुरा-II वा.–जाहोता जयपुर

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
श्री भूरामल, कानाराम मेमोरियल
जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान
मुकन्दपुरा, जयपुर (राज.)

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2022.12.21 22:16:01 IST
Reason: Approved
Location: